कार्यालय आयुक्त एंव निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।

परिपत्रांक 51 /कृषि निवेश/उर्वरक लाईसेन्स दिनांक ::लखनऊ :: अगस्त, 09 2016

1. समस्त जिला प्रबन्धक,
   पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक
   सहकारिता उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबन्धक
   सहकारिता उत्तर प्रदेश ।

कृपया भारत सरकार के कृषि एंव किसान कल्याण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 2200 भाग II –खण्ड 3–उपखण्ड (ii) नईदिल्ली 10.10.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 का और संशोधन आदेश किया गया है । यह संशोधन राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख 10.10.2015 से प्रवृत्त हो गया है। यह आदेश उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के खण्ड–8 में उपखण्ड–3 के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःविस्थापित किया गया है अर्थात :–

" 4 इस आदेश के अधीन किसी आवेदक को प्राधिकरण पत्र अनुदत्त नहीं किया जायेगा सिवाय जब तक आवेदक निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो, अर्थात :–

I– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक, या

II– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन में विज्ञान स्नातक, या

III–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि विज्ञान में डिप्लोमा, या

IV–राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्धन संस्थान (MANAGE), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबन्धन संस्थान (NIEHM) और अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम 06 मास की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाण पत्र पाठ्यकम ;

परन्तु ऐसे डीलर, जिन्हें उर्वरक (नियन्त्रण) चौथा संशोधन आदेश 2015 के प्रवृत्त होने से पूर्व प्राधिकरण पत्र अनुदत्त किया गया है, से उनके प्राधिकरण के नवीनीकरण के समय उक्त अर्हताओं को रखने की अपेक्षा नहीं होगी ;

परन्तु यह और कि उक्त अर्हतायें रजिस्ट्रीकृत कृषि सहकारी संस्थाओं और राज्य विपणन संघों को लागू नहीं होगी, किन्तु वो पूर्वोक्त अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को नियोजित (engage) करेंगे।"।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रथम परन्तुक के अनुसार जिन समितियो को उर्वरक लाईसेन्स प्राप्त है और अभी कालातीत नहीं हुए हैं, उन समितियों के उर्वरक लाईसेन्स के कालातीत होने से पूर्व नवीनीकरण के समय उक्त अर्हताओं की आवश्यकता नहीं होगी। जिन सहकारी समितियों के उर्वरक लाईसेन्स कालातीत हो गये हैं और कालातीत होने की तिथि से एक माह का समय भी व्यतीत हो गया है, ऐसी सहकारी समितियों के उर्वरक लाईसेन्स नवीनीकरण के लिए द्वितीय परन्तुक के अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। इसके अन्तर्गत जनपद में कार्यरत विभागीय कर्मचारी एंव अधिकारी, जिसमे सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जो उपरोक्त अर्हतायें धारित करते हों उन्हें सहकारी समिति नियोजित (engage) किये जाने का प्रस्ताव करते हुए उर्वरक लाईसेन्स नवीनीकरण का आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

अन्य विकल्प के कम में सहकारी समितियां अपने कर्मचारियों को बिन्दु IV के अन्तर्गत "राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्धन संस्थान (MANAGE), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबन्धन संस्थान (NIEHM) और अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम 06 मास की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" प्रशिक्षण कराकर अग्रेतर कार्यवाही करते हुए उर्वरक लाईसेन्स प्राप्त करने की अर्हताओं को पूर्ण कर सकती है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक 21-51 / कृषि निवेश / उर्वरक लाईसेन्स दिनाक उक्त।

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, समस्त सहकारी शीर्ष संस्थायें उ0प्र0।
2. समस्त अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, मुख्यालय।
3. अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक(कम्प्यूटर सेल) / वेबमास्टर, सहकारिता उ0प्र0 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

(धीरेन्द्र सिंह)
अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक(कृ0नि0)
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

D:/Bhardwaj@fertilicense